न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.130/प्रा.पत्र/2023 (GCMS No. 2023/191)	28.08.2023	23.12.2024

श्रीमती गीता देवी पत्नी रामबाबू जाति खटीक,
निवासी गेण्डोलीखुर्द हाल निवासी ए–4 मेन रोड, जवाहर नगर कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु आ. स्व.दयाला जाति रेगर नि. गेण्डोलीखर्द, तह.रायथल
2. श्रीमती मनभरबाई पुत्री स्व.दयाला पत्नी ग्यारसीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम जखाणा, तहसील रायथल
3. श्रीमती लाड़बाई पुत्र स्व.दयाला पत्नी मदनलाल जाति रेगर निवासी बांसी, तहसील नैनवां
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार एवं उप पंजीयक, रायथल,

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री रमेश कुमार जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर से श्री मुकेश कुमार उदयवाल एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र श्री दयाला आ. चतरा रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 98 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं ख.सं. 99 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द आवंटन आदेश दिनांक 19.07.1976 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 130/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/191 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। जिला अभिलेखागार से आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 29.04.2024 को जवाब पेश किया जाकर इस कार्यवाही को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 19.06.1976 को अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 के पिता दयाला आ0 चतरा रेगर को किया गया भूमि खसरा सं. 98 व 99 का आवंटन कानून व तथ्यों से विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उसके उत्तराधिकारियों का कभी भी आवंटन के पूर्व व आवंटन के पश्चात् आज तक भी कब्जा नही रहा है, अर्थात आवंटी द्वारा प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष भूमि पर काश्त नहीं किये जाने से आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन के पूर्व नियमानुसार कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। भूमिहीन काश्तकारों की एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों की प्राथमिकता के आधार पर कोई लिस्ट तैयार नहीं की, इसलिए भी आवंटन कानून विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। आवंटी ने अपने एवं अपने परिवार के संयुक्त खाते की भूमि का उल्लेख आवंटन प्रार्थना पत्र में नहीं किया है, तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है। इस कारण उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटी दयाला भूमिहीन काश्तकार नहीं था एवं आवंटी आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। इस तथ्य को आवंटी ने छिपाया है। आवंटित भूमि छोटी पट्टी की भूमि है। उक्त भूमि समीपवर्ती काश्तकार को प्रथम आवंटन योग्य थी। यदि 02 व्यक्ति समीपवर्ती भूमि के मालिक हो तो भूमि नीलामी के द्वारा आवंटन किया जाना चाहिए। प्रार्थिया द्वारा आवंटित भूमि के समीपवर्ती भूमि जिससे खरीदी थी, वह व्यक्ति आवंटित भूमि पर काबिज था। काबिज व्यक्तियों से उक्त भूमि भी प्रार्थियां ने खरीदी है। जिस पर प्रार्थियां वर्षो से काबिज चली आ रही है। इस कारण प्रथम समीपवर्ती खातेदार को भूमि आवंटित होना चाहिए था, इस बिन्दू पर गौर नहीं कर उक्त भूमि आवंटी को आवंटन करने भारी भूल की है। आवंटित भूमि पर आवंटी एवं उनके उत्तराधिकारियों का कभी कब्जा नहीं रहा, इसके बावजूद भी बिना कब्जे की जांच किये अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान कर दी गई। गैर खातेदारी नियमानुसार नहीं होने से तहसीलदार साहब को खातेदारी देने का अधिकार भी नहीं था। आवंटन आदेश की प्रार्थिया को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.8.2023 को हुई। तब प्रार्थिया द्वारा खाते की नकल हेतु आवेदन पेश किया गया, नकल दिनांक

जिला कलेक्टर, बून्दी

08.8.2023 को प्राप्त होते ही प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 18, आरआरडी 2001 पेज 465, आरआरडी 2001 पेज 142, आरआरडी 2006 पेज 224 की नजीरे पेश करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दयाला आ. चतरा रेगर के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1, 2, 3 ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम गेण्डोली द्वारा आवंटन से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा जारी की गई थी तथा भूमिहीन काश्तकारों की एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर लिस्ट तैयार की गई थी। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 19.06.1976 को आवंटी दयाला आ. चतरा कौम रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को सम्पूर्ण जांच उपरान्त आवंटन का पात्र मानते हुऐ भूमि खसरा सं. 98 व 99 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा भूमि का विधि के प्रावधानों के अनुरूप आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने पर आवंटी को गवाहान की उपस्थिति में आवंटित भूमि का कब्जा दिया जाकर आवंटी दयाला की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड किया गया है। आवंटी द्वारा उसकी गैर खातेदारी सम्पूर्ण भूमि पर बेरोकटोक काश्त करते हुये वर्ष 1980 में उक्त भूमि पर कुँआ खुदवाया था। आवंटी द्वारा निरन्तर कब्जा काश्त होकर आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से वर्ष 1992 में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। आवंटी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को 48 वर्ष एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये 32 वर्ष हो चुके है, जबकि कोटा निवासी प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2009 में उक्त भूमि के पास अन्य भूमि खरीदी गई थी, प्रार्थिया का आवंटित भूमि से कोई सरोकार नहीं है और न ही प्रार्थिया का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा रहा है। प्रार्थियां द्वारा जबरन दादागिरी व ताकत के आधार पर बलपूर्वक विपक्षीगण से उक्त भूमि को हडपना चाहती है। काफी वर्षो पूर्व के आवंटन व खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने का प्रार्थिया को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया ने इस प्रार्थना पत्र में मियाद को कन्डोन करने के लिए न तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया और न ही विलम्ब का कोई कारण बताया गया है। ऐसे में प्रार्थिया द्वारा गंभीर रूप से मियाद बाहर पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि दयाला आ. चतरा कौम रेगर निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 19.06.1976 को भूमि ख.सं. 98 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं ख.सं.99 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2072–75 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 834, 835, 836 वाकेग्राम गेण्डोलीकलां पर प्रभूलाल पुत्र दयाला, मनभर पुत्री दयाला, लाडबाई पुत्री दयाला जाति रेगर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया द्वारा आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्मित कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारान के विरूद्ध पेश किया गया है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद खातेदारान के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवंटन निरस्त कर खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जैसा कि आरआरडी 1987 पेज 359 एवं पेज 371 में उद्हरित हैं। प्रार्थिया का यदि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी है तो उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की है। वैसे प्रार्थिया द्वारा वक्त आवंटन अपने पुराने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये हो, पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिया यदि उक्त खातेदारी भूमि पर अपना हक अधिकार मानती है तो उसे अपने अधिकारों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रार्थियां द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारान के विरूद्ध पेश किया गया हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी